



Neutral Citation No.- 2026:AHC:128432

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 23596 वर्ष 2026

श्रीमती श्रद्धा एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: चंद्र भान

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: मु.स्था.अधि.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादीगण के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल किया गया पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने प्रतिवादीगण को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने वाली परमादेश की प्रकृति की एक रिट हेतु तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक निर्देश हेतु भी प्रार्थना की है।
4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 की आयु 21 वर्ष है, जैसा कि याचिका के संलग्नक-1 के रूप में संलग्न उसकी हाईस्कूल मार्कशीट से स्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 2 एक निरक्षर तथा अशिक्षित व्यक्ति है तथा उसके पास आधार कार्ड के अतिरिक्त अपनी वयस्कता की आयु दर्शाने हेतु कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज नहीं है, जो रिट याचिका के संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है। उक्त अभिकथन आज दाखिल पूरक शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 2 में कहा गया है। आर्य समाज, जॉर्जटाउन द्वारा जारी विवाह उत्प्रेषण रिट याचिका के संलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है।



5. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 Cr.L.J. 3309**में, अंतर-जातीय विवाह करने वाले लड़के तथा लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के एक प्रकरण से निपटते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित शब्दों में निर्देश जारी किए हैं:-

"यह एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो अधिकतम जो वे कर सकते हैं वह यह है कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते या हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते या उकसा नहीं सकते तथा ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। हम, इसलिए, निर्देश देते हैं कि देश भर में प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो वयस्क है, किसी वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो जोड़े को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाए या धमकियों या हिंसा के कृत्यों के अधीन नहीं किया जाए, तथा जो कोई भी ऐसी धमकियां देता है या परेशान करता है या स्वयं या अपने उकसावे पर हिंसा के कृत्य करता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा दांडिक कार्यवाही स्थापित करके कार्रवाई की जाए तथा विधि द्वारा उपबंधित अनुसार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध और कठोर कार्रवाई की जाए।"

6. **भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 6 SCC 396**में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 28 तथा 29 में इस प्रकार धारित किया:-

"28. अक्सर प्रेम में पड़ने वाले युवा जोड़ों को कंगारू अदालतों के क्रोध से बचने हेतु पुलिस लाइनों या संरक्षण गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह प्रकरण में यह धारित किया है कि "इज्जत" हत्याओं में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, तथा वे सामंती मानसिकता वाले कट्टर व्यक्तियों द्वारा किए गए बर्बर तथा क्रूर हत्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। हमारी राय में इज्जत हत्याएं, चाहे किसी भी कारण से हों, मृत्युदंड की अधिकारी दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं। इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को समाप्त करने का समय आ गया है जो हमारे



राष्ट्र पर एक कलंक हैं। ऐसे अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए यह एक निवारक के रूप में आवश्यक है। "इज्जत" हत्याएं करने की योजना बना रहे सभी व्यक्तियों को यह जान लेना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।"

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपर्युक्त अवलोकन तथा निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किए जा रहे हैं तथा इस चरण में इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्तागण की मात्र आशंका है कि निजी प्रतिवादीगण हिंसा का कोई कृत्य कर सकते हैं और/या याचिकाकर्तागण को परेशान कर सकते हैं।
8. प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका इस निर्देश के साथ अंततः निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्तागण, विवाहित जोड़े होने के नाते, साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण रहन-सहन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण रहन-सहन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो प्रकरण की जांच करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
9. याचिकाकर्तागण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त विवाह उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आज से दो महीने के भीतर पंजीकृत किया जाए और यदि याचिकाकर्तागण निर्धारित समय के भीतर विवाह पंजीकृत कराने में असफल रहते हैं, तो यहां प्रदान की गई सुरक्षा प्रभावी होना बंद हो जाएगी।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्तागण द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाणपत्र की वास्तविकता या याचिकाकर्तागण की सही आयु का न्यायनिर्णयन नहीं किया है। यह आगे स्पष्ट किया जाता है, यह आदेश याचिकाकर्तागण को विधि के अनुसार स्थापित किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा देने हेतु पारित नहीं किया गया है।
11. चूंकि याचिका प्रारंभिक चरण में ही निस्तारित की जा रही है, इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इसके रिकॉल हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आदेश तथ्यों को दबाकर या छुपाकर या गलत अभिकथनों पर प्राप्त किया गया हो।



12. तथापि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच, यदि कोई हो, के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा।

13. यदि याचिकाकर्तागण द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तथा आदेश प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की अनुपस्थिति में पारित किया जा रहा है, तो प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के लिए इस आदेश के रिकॉल की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

19 जून, 2026

एसएफएच

Translated Version. Not for Legal Use.